दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आप.वि.वा. 2242/2020

सुरक्षित :- 22.09.2021
निर्णय की तिथि :- 18.10.2021

निम्न मामले में :-

अभिषेक .....याचिकाकर्ता

द्वारा श्री राजेश आनंद, अधिवक्ता।

बनाम

दिल्ली रा.रा.क्षे. राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा सुश्री नीलम शर्मा, राज्य के लिए अति.लो.अभि.।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार ओहरी

निर्णय

मनोज कुमार ओहरी, न्या.

1. वर्तमान याचिका पुलिस थाना बुराड़ी, दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख/498क/406/34 के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 37/2020 से उत्पन्न आपराधिक पुनरीक्षण सं. 226/2020 में

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश-02, मध्य जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 29.10.2020 को चुनौती देते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई है।

2. उपरोक्त आदेश के माध्यम से, याचिकाकर्ता की पुनरीक्षण याचिका, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत व्यतिक्रम पर जमानत की मांग करने वाले उसके आवेदन को विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती देती है, को बर्खास्त कर दिया गया है।

3. संक्षेप में, वर्तमान मामले में शामिल तथ्य यह हैं कि दिनांक 16.01.2020 को याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दिल्ली के बुराड़ी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख/498क/406/34 के तहत एक मामला जिसकी प्राथमिकी सं. 37/2020 है उसके ससुर यानी मृतका के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर दर्ज किया गया।

4. जाँच के दौरान, याचिकाकर्ता को दिनांक 18.01.2020 को गिरफ्तार किया गया था और दिनांक 19.01.2020 को संबंधित महानगर दंडाधिकारी के सामने पेश किए जाने पर, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता की न्यायिक हिरासत को समय-

समय पर बढ़ाया गया था, जिसमें दिनांक 15.04.2020 को उसकी हिरासत को दिनांक 29.04.2020 तक बढ़ाया जाना भी शामिल था। स्वीकार्य रूप से, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के परंतुक (क) के तहत आरोप पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित 90 दिनों की समयावधि दिनांक 18.04.2020 को समाप्त हो गई थी।

5. आगे बढ़ने से पहले, मैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उस तारीख को विद्यमान वास्तविक स्थिति को समझता हूं। पूरा देश कोविड-19 महामारी के कारण एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना कर रहा था, जिसके कारण केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 24.03.2020 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के परिणामस्वरूप, न केवल लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित थी, बल्कि न्यायालयों के भौतिक कामकाज में भी बाधा आई थी। हालाँकि जमानत आवेदन को भौतिक रूप से दाखिल करने और सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन जमानत आवेदनों सहित अत्यावश्यक आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने के लिए एक तंत्र एक समर्पित ईमेल अर्थात aojdelhicourts@gmail.com के माध्यम से उपलब्ध था। जमानत याचिकाओं की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जानी थी।

6. इस दौरान, न्यायिक हिरासत से पीड़ित विचाराधीन व्यक्तियों को संबंधित अदालतों में पेश नहीं किया जा सका और उनकी हिरासत को जेल के आगंतुक दंडाधिकारी द्वारा बढ़ा दिया गया। इन परिस्थितियों में, अधीक्षक, केंद्रीय जेल संख्या. 7, तिहाड़, दिल्ली द्वारा दायर स्थिति आख्या के अनुसार याचिकाकर्ता की न्यायिक हिरासत को भी जेल के विजिटिंग मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 15.04.2020 को 14 दिनों के लिए यानी दिनांक 29.04.2020 तक बढ़ा दिया गया था। याचिकाकर्ता का अभिरक्षा वारंट भी अभिलेख पर रखा गया है।

7. चूंकि 90 दिनों की निर्धारित समयावधि, जो दिनांक 18.04.2020 को समाप्त हो गई थी, के दौरान कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया गया था, इसलिए दिनांक 20.04.2020 को याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त समर्पित ईमेल पते के माध्यम से उसके अधिवक्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत एक आवेदन दायर किया गया था। व्यतिक्रम पर जमानत के लिए प्रार्थना वाला ईमेल "धारा 304ख/498क/406/34 भा.दं.सं. के तहत प्राथमिकी संख्या 37/2020 पुलिस थाना बुराड़ी में अभिषेक की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत जमानत आवेदन की तत्काल सुनवाई" विषय के साथ दिनांक 20.04.2020 को शाम के लगभग

1:16 बजे भेजा गया था। ई-मेल श्री बलबीर सिंह, एओ(जे) को संबोधित किया गया था तथा निम्नानुसार है :-

"आदरणीय श्रीमान,

कृपया राज्य बनाम अभिषेक व अन्य के रूप में शीर्षक वाले मामले में पुलिस थाना बुराड़ी में भा.दं.सं. की धारा 304ख/498क/406/34 के तहत प्राथमिकी संख्या 37/2020, जमानत आवेदन और अनुलग्नक की संलग्न स्कैन की गई प्रति देखें, जो वर्तमान में श्री प्रणव जोशी, विद्वान एमएम, केंद्रीय, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली कमरा संख्या 286 के न्यायालय में लंबित है। अभियुक्त/आवेदक गिरफ्तारी के बाद से 90 दिनों से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में हमारी जानकारी और सूचना के अनुसार अभियुक्त/आवेदक का आरोप-पत्र अभी तक दायर नहीं किया गया है और इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के संदर्भ में, वह जमानत पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है, जिसे वह दाखिल करने के लिए तैयार है। जमानत आवेदन को सूचीबद्ध करने और तत्काल सुनवाई के लिए विचार किया जाए।

यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है तो कृपया हमें बताएं ताकि वह जल्द से जल्द प्रदान की जा सके।

सादर।

राजेश आनंद

अभियुक्त/आवेदक अभिषेक के लिए अधिवक्ता 9899402429/9810146988"

8. उपरोक्त ईमेल के साथ जमानत आवेदन की एक प्रति भी संलग्न की गई थी। ईमेल के जवाब में, उसी दिन शाम के 03:42 पर एक जवाब प्राप्त हुआ, जिसमें यह पूछा गया था कि आवेदन को ड्यूटी महानगर दंडाधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना था या सत्र न्यायालय के समक्ष। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा शाम के 07:21 बजे एक और ईमेल भेजा गया था, इस प्रकार यह स्पष्ट करते हुए कि जमानत एक व्यतिक्रम पर जमानत है और आरोप-पत्र दायर नहीं किए जाने से, आवेदन को ड्यूटी महानगर दंडाधिकारी के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना था। यह प्रकथन किया गया है कि इसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को संबंधित एओ(जे) से कोई जवाब नहीं मिला। यह भी प्रकथन किया गया है कि जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता को यह सूचित करके गुमराह किया कि उसने समय के भीतर आरोप-पत्र दायर कर दिया था, जिसके कारण आवेदन को यह मानते हुए आगे नहीं बढ़ाया गया कि वह निष्फल हो गया है।

9. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जारी रहा और याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र की कोई प्रति नहीं दी गई। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.05.2020 को नियमित जमानत के लिए एक आवेदन दायर

किया जिसे दिनांक 30.05.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया।

10. यह प्रकथन किया गया है कि बाद में अदालतों में भौतिक सुनवाई फिर से शुरू होने पर, आवेदक को पता चला कि आरोप-पत्र वास्तव में दिनांक 20.04.2020 यानी उसी दिन दायर किया गया था जिस दिन याचिकाकर्ता ने धारा 167(2) दं.प्र.सं. के तहत एक ईमेल के माध्यम से अपनी व्यतिक्रम पर जमानत आवेदन को दाखिल किया था। यह जानकारी प्राप्त करने पर, याचिकाकर्ता ने दिनांक 15.09.2020 को धारा 167(2) दं.प्र.सं. के तहत दूसरा आवेदन दाखिल किया जिसे दिनांक 16.09.2020 को विद्वान महानगर दंडाधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश को चुनौती देने वाली एक पुनरीक्षण याचिका यहां आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दी गई।

11. इस पृष्ठभूमि में, जबकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने व्यतिक्रम पर जमानत के लिए की गई प्रार्थना पर बल दिया है, विद्वान अति.लो.अभि. ने यह तर्क देते हुए इसका विरोध किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर जमानत आवेदनों में से कोई भी पोषणीय नहीं था और इस संबंध में, निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की :-

i) जाँच अधिकारी ने दिनांक 20.04.2020 को आरोप-पत्र दाखिल किया

और इस प्रकार धारा 167(2) दं.प्र.सं. के तहत दाखिल किया गया जमानत आवेदन जिसे उक्त तिथि पर आवेदक द्वारा दाखिल किया जाना बताया गया है पोषणीय नहीं था।

ii) जमानत आवेदन कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि न तो याचिकाकर्ता की ओर से उक्त आवेदन को सूचीबद्ध करने या सुनवाई के लिए कोई कदम उठाया गया और न ही लोक अभियोजक को कभी कोई नोटिस जारी किया गया।

iii) याचिकाकर्ता ने दिनांक 05.05.2020 को गुणागुण के आधार पर नियमित जमानत याचिका दायर करके व्यतिक्रम पर जमानत की मांग करने वाले अपने पहले के आवेदन को वैसे भी छोड़ दिया था।

iv) याचिकाकर्ता का दिनांक 15.09.2020 का व्यतिक्रम पर जमानत की मांग करने वाला दूसरा आवेदन पोषणीय नहीं था क्योंकि वैधानिक जमानत लेने का उसका अधिकार दिनांक 20.04.2020 को आरोप-पत्र दाखिल होने के कारण पहले ही समाप्त हो गया था।

12. मेरे द्वारा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया है और अभिलेख पर रखी गई सामग्री के साथ-साथ विचारण न्यायालय के अभिलेख, जिसे तलब किया गया था, की डिजिटल प्रति को भी देखा है। सुनवाई के दौरान, यह बताया गया कि याचिकाकर्ता को

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/अवकाश न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, विद्युत न्यायालय संख्या-02, केंद्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली द्वारा पारित आदेश के माध्यम से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिस आदेश को बढ़ाया गया है और आज तक जारी है।

13. तथ्यों के विवाद में नहीं होने के कारण, ऊपर उल्लिखित वास्तविक स्थिति में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्राथमिक मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता दिनांक 20.04.2020 को व्यतिक्रम पर जमानत का हकदार था, गौण मुद्दा न्यायालय का अभियुक्त को, अपेक्षित समय में आरोप पत्र दाखिल न होने पर, उसके पक्ष में अर्जित अधिकार और व्यतिक्रम पर जमानत की मांग करने के लिए आवेदन दायर करने के माध्यम और तरीके के बारे में सूचित करने का दायित्व है।

<u>व्यतिक्रम पर जमानत - अभियुक्त का अपरिहार्य अधिकार</u>

14. धारा 167(2) दं.प्र.सं., जो वर्तमान मुद्दे से संबंधित है, निम्नानुसार है :-

> *"(2) वह दंडाधिकारी, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, अभियुक्त का ऐसी*

अभिरक्षा में, जैसी वह दंडाधिकारी ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पंद्रह, दिन से अधिक न होगी, निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे दंडाधिकारी के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है :-

बशर्ते कि -

(क) दंडाधिकारी अभियुक्त व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा से अन्यथा हिरासत पंद्रह दिन की अवधि से आगे के लिए उस दशा में अधिकृत कर सकता है जब वह संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार हैं, लेकिन कोई भी दंडाधिकारी अभियुक्त व्यक्ति को इस अनुच्छेद के तहत हिरासत में रखने के लिए निम्नलिखित कुल अवधि से बढ़ाने के लिए अधिकृत नहीं होगा -

(i) कुल मिलाकर नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए अधिकृत नहीं करेगा जहां जांच ऐसे अपराध के संबंध में है जो मृत्यु, आजीवन कारावास या दस वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है;

(ii) साठ दिन, जहाँ जांच किसी अन्य अपराध से संबंधित है, और, नब्बे दिन या साठ दिन की उक्त अवधि की

समाप्ति पर, जैसी भी स्थिति हो, अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा यदि वह जमानत देने के लिए तैयार है और दे देता है, और इस उप-धारा के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अध्याय XXXIII के प्रावधानों के तहत उस अध्याय के प्रयोजनों के लिए इस तरह से जमानत पर रिहा किया गया माना जाएगा;

(ख) कोई भी दंडाधिकारी इस धारा के तहत पुलिस की हिरासत में अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखने के लिए अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि अभियुक्त को पहली बार व्यक्तिगत रूप से उसके सामने पेश नहीं किया जाता है और बाद में हर बार जब तक कि अभियुक्त पुलिस की हिरासत में नहीं रहता है, लेकिन दंडाधिकारी अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज के माध्यम से पेश करने पर न्यायिक हिरासत में आगे निरोध को बढ़ा सकता है।

(ग) द्वितीय श्रेणी का कोई भी दंडाधिकारी, जो उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त नहीं किया गया है, पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को अधिकृत नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण 1- संदेहों से बचने के लिए, एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अनुच्छेद (क) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बावजूद, अभियुक्त को तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि वह जमानत नहीं देता है।

स्पष्टीकरण 2- यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी अभियुक्त व्यक्ति को जैसा कि धारा (ख) के तहत अपेक्षित है, दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, तो

अभियुक्त व्यक्ति को पेश किया जाना, हिरासत को अधिकृत करने वाले आदेश पर उसके हस्ताक्षर से या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को पेश करने के बारे में दंडाधिकारी द्वारा प्रमाणित आदेश से, जैसा भी मामला हो, साबित किया जा सकता है :-

इसके अतिरिक्त बशर्ते कि अठारह वर्ष से कम आयु की महिला के मामले में, निरोध को रिमांड होम या मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्थान की अभिरक्षा में रहने के लिए अधिकृत किया जाएगा।

15. प्रावधान के एक सामान्य अध्ययन से पता चलता है कि जब धारा 167(2) दं.प्र.सं. के पहले परंतुक (क) के तहत निर्धारित जांच के लिए अधिकतम अवधि समाप्त हो जाती है और कोई आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार हो जाता है, जिसे अधिक उचित रूप से 'व्यतिक्रम पर जमानत' कहा जाता है। धारा 167 (2) दं.प्र.सं. के तहत व्यतिक्रम पर जमानत लेने का अधिकार एक मौलिक अधिकार हो और न केवल एक वैधानिक अधिकार, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से निकलता है। इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अपरिहार्य हिस्सा माना गया है और इस तरह के अधिकार को महामारी की स्थिति के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त के स्वतंत्र होने के

अधिकार को जांच जारी रखने और आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के राज्य के अधिकार पर प्राथमिकता दी जाती है [देखें :- **2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 529 के रूप में प्रकाशित** एस. कासी बनाम पुलिस निरीक्षक समयनल्लूर पुलिस थाना मदुरै जिला के माध्यम से राज्य।

16. न्यायालय बार-बार प्रावधान की विभिन्न बारीकियों से प्रभावित हुए हैं, और हर बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला के आधार पर मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं और ऐसा ही एक मामला **(2017) 15 एससीसी 67** राकेश कुमार पॉल बनाम असम राज्य था, जिसमें न्यायालय ने भारत के विधि आयोग की 41वीं रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें जांच पूरी करने के लिए 15 दिनों की तत्कालीन निर्धारित सीमा द्वारा बनाई गई विसंगति को देखते हुए, अपराध की गंभीरता के आधार पर जांच पूरी करने के लिए अधिकतम 60/90 दिनों की अवधि निर्धारित करने की सिफारिश की गई थी। **(1994) 5 एससीसी 410** के रूप में प्रकाशित संजय दत्त बनाम सीबीआई द्वारा राज्य, बॉम्बे (II) के मामले में एक संविधान पीठ के निर्णय के साथ-साथ **(2001) 5 एससीसी 453** के रूप में प्रकाशित उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और

(2014) 9 एससीसी 457 के रूप में प्रकाशित केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भारत संघ बनाम निराला यादव उर्फ राजा राम यादव उर्फ दीपक यादव अपने निर्णयों का उल्लेख करते हुए, राकेश कुमार पॉल (पूर्वोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने, बहुमत के दृष्टिकोण से, आगे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :-

"37. इस न्यायालय को भारत संघ बनाम निराला यादव मामले में इस विषय पर पूरे मामले के कानून की समीक्षा करने का अवसर मिला था| उस निर्णय में उदय मोहनलाल आचार्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और उस निर्णय में निकाले गए निष्कर्ष का संदर्भ दिया गया था| हम निष्कर्ष (3) से संबंधित हैं जो इस प्रकार है: (निराला यादव मामला, एससीसी पृ. 472, अनुच्छेद 24)

> *"13.(3) उक्त 90 दिनों या 60 दिनों की अवधि की समाप्ति पर, जैसा भी मामला हो, अभियुक्त के पक्ष में एक अपरिहार्य अधिकार अर्जित होता है कि वह जाँच एजेंसी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जाँच पूरी करने में चूक होने के कारण जमानत पर रिहा किया जा सकता है और अभियुक्त जमानत पर रिहा होने का हकदार है यदि वह मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित जमानत देने के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है। (उदय मोहनलाल मामला, एससीसी पृ. 473,* अनुच्छेद *13)"*

38. इस न्यायालय ने संजय दत्त के मामले में दिए गए निर्णय पर भी विचार किया और नोट किया कि संविधान पीठ द्वारा निर्धारित सिद्धांत

इस आशय का है कि यदि आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है और 'व्यतिक्रम जमानत' का अधिकार अपरिहार्यता की स्थिति में आ गया है, तो इसे किसी भी बहाने से अभियोजन पक्ष द्वारा निष्फल नहीं किया जा सकता है| अभियुक्त अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठाकर एक आवेदन दायर कर सकता है जिसमें कहा गया हो कि आरोप-पत्र या चालान दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है और वह अभी तक दायर नहीं की गई है और इसलिए उसके पक्ष में अपरिहार्य अधिकार अर्जित हो गया है और आगे अभियुक्त जमानतपत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है|"

17. दं.प्र.सं. की धारा 167(2) में अंतर्निहित प्रावधान के उद्देश्य को विफल करने में अभियोजन पक्ष के साथ-साथ कुछ न्यायालयों द्वारा अपनाए गए चलन की निंदा करते हुए न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि:-

> *"39. इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा अपरिहार्य अधिकार को निष्फल करने की संभावना के अलावा, ऐसे अवसर भी आते हैं जब न्यायालय भी अपरिहार्य अधिकार को निष्फल कर देती है| मोहम्मद इकबाल मदार शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य का संदर्भ दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि कुछ न्यायालय 'व्यतिक्रम जमानत' के लिए आवेदन को कुछ दिनों के लिए लंबित रखते हैं ताकि उस बीच आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जाए| हालाँकि अभियोजन पक्ष के साथ-साथ कुछ न्यायालयों की ओर से इस तरह के चलन को बहुत दृढ़ता से और प्रबल रूप से रोका जाना चाहिए, हम दोहराते हैं कि*

अभियुक्त के 'व्यतिक्रम जमानत' के अपरिहार्य अधिकार को हराने हेतु आरोप-पत्र या चालान जमा करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के और न्यायालय में आरोप-पत्र या चालान प्रस्तुत करने के समय के बीच किसी भी दाँव-पेंच का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए|"

18. बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य **(2020) 10 एससीसी 616** के रूप में प्रकाशित मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में उपरोक्त सिद्धांतों को फिर से दोहराया है:-

"*36. उपरोक्त निर्णयों के सारांश से पता चलता है कि जब तक व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन 90 दिनों की अवधि के बीतने के उपरान्त आरोप-पत्र दायर करने से पहले किया जाता है, तो व्यतिक्रम जमानत लेने का अधिकार पूर्ण होता है| ऐसा कोई क्षण नहीं है जब प्रश्नगत आपराधिक न्यायालय या तो आरोप-पत्र दायर करने से पहले इस तरह के आवेदन का निपटान नहीं करती है या इस तरह के आवेदन का आरोप-पत्र दायर करने से पहले गलत तरीके से निपटान नहीं करती है। जब तक कथित अवधि की समाप्ति पर व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन किया गया है, तब तक समय को अधिकतम 180 दिनों तक बढ़ाया जाता है, व्यतिक्रम जमानत, धारा 167 (2) के पहले परंतुक के*

तहत आरोपी का एक अपरिहार्य अधिकार है, जो आरम्भ हो जाता है और इसे प्रदान किया जाना चाहिए|"

19. <u>सारावनन बनाम *राज्य पुलिस* निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत</u> मामले में **(2020) 9 एससीसी 101** के रूप में प्रकाशित, जहां अपीलकर्ता का मामला था कि वह 101 दिनों से अधिक समय तक जेल के अंदर था, लेकिन जाँच पूरी नहीं हुई थी और पुलिस ने दं.प्र.सं. की धारा 167 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर अंतिम आख्या दायर नहीं की थी, उसमे उच्चतम न्यायालय ने माना कि:-

"9. ...हालाँकि, जैसा कि इस न्यायालय ने निर्णयों के संदर्भ में और विशेष रूप से राकेश कुमार पॉल के मामले में कहा है, जहां 60 दिनों या 90 दिनों के भीतर जाँच पूरी नहीं होती है, जैसा कि मामला है, और 60वें या 90वें दिन तक कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया जाता है, तो अभियुक्त को व्यतिक्रम जमानत का "अपरिहार्य अधिकार" मिलता है, और जब अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानत प्रस्तुत करता है तो <u>अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत का हकदार हो जाता है| इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत व्यतिक्रम जमानत/वैधानिक जमानत प्राप्त करने के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि अभियुक्त 60 या 90 दिनों से अधिक के लिए जेल में रहा है, जैसा भी मामला हो, और 60 या 90 दिनों के भीतर, जाँच पूरी नहीं हुई है और 60वें या 90वें दिन तक कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है और अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करता है और जमानत देने के लिए तैयार है|</u>

(जोर दिया गया)

20. हाल ही में, एम. रवींद्रन *बनाम* आसूचना अधिकारी, राजस्व आसूचना निदेशालय (2021) 2 **एससीसी 485** के रूप में प्रकाशित में, उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे को व्यापक रूप से निपटाया है और यह राय दी हैः-

> *"8. इस न्यायालय ने रवि प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य सहित कई निर्णयों में फैसला सुनाया है कि धारा 167 (2) के तहत अवधि की गणना करते समय, जिस दिन आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था उसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए और जिस दिन न्यायालय में चालान/आरोप-पत्र दायर किया जाता है, उसे शामिल करना होगा।*
>
> *xxx*
>
> 22.3. *हमारा यह दृढ़ मत है कि उदय मोहनलाल आचार्य से लिया गया दृष्टिकोण एक बाध्यकारी मिसाल है| इसके बाद सैयद मोहम्मद अहमद काजमी के मामले में तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इसे माना गया है| इसलिए, प्रज्ञयना सिंह ठाकुर के अनुच्छेद* 54 *और* 58 *में दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस प्रभाव से यह राय दी कि "भले ही जमानत के लिए आवेदन इस आधार पर दायर किया गया हो कि आरोप-पत्र* 90 *दिनों के भीतर दायर नहीं किया गया था, लेकिन उस पर विचार करने से पहले और जमानत पर रिहा होने से पहले, जमानत पर रिहा होने का उक्त अधिकार खो जाएगा" या "केवल गुणागुण पर हो सकता है", अनवधानता माना जाएगा|*
>
> *xxx*

23. पुनरावृत्ति की कीमत पर, इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि धारा 167 (2) और उसके परंतुक को अधिनियमित करते समय विधायिका का सर्वोपरि विचार यह था कि जाँच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए, और अभियुक्त को अनुचित रूप से लंबी अवधि के लिए हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए जैसा कि 1898 की संहिता के तहत प्रचलित स्थिति थी| यह अनुच्छेद 21 के तहत राज्य को दिए गए दायित्व के अनुरूप होगा जिसमे किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने से पहले एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा|

निष्कर्ष

24. वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी-अभियुक्त ने उनकी गिरफ्तारी के 181वें दिन यानी दिनांक 1-2-2019 को 10:30 पूर्वाहन कोर्ट खुलने के तुरंत बाद आवेदन दायर करके जमानत प्राप्त करने के अपने विकल्प का उपयोग किया था| यह विवाद में नहीं है कि लोक अभियोजक ने दिनांक 31-1-2019 से या 1.2.2019 को 10:30 पूर्वाहन से पहले अपराध की जाँच के लिए समय के विस्तार हेतु कोई आवेदन दायर नहीं किया था| जिस दिन वह दायर की गई, लोक अभियोजक ने 4:25 अपराहन तक जमानत याचिका पर दलीलों में भाग लिया था| इसके बाद ही अपीलकर्ता के खिलाफ अतिरिक्त शिकायत दर्ज की गई| इसलिए, उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, अपीलार्थी-अभियुक्त ने जमानत के अपने अपरिहार्य अधिकार का लाभ तभी उठा लिया था जिस क्षण उसने जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन दायर किया और जमानत आदेश अर्थात दिनांक 1-2-

2019 को 10:30 पूर्वाहन के जारी नियमों और शर्तों का पालन करना की पेशकश की थी| बाद में एक अतिरिक्त शिकायत दर्ज किए जाने के बावजूद वह जमानत पर रिहा होने का हकदार था|

25. इसलिए, निष्कर्ष में:-

25.1. एक बार जब आरोपी धारा 167(2) के प्रावधान के तहत जमानत के लिए आवेदन दायर करता है, तो माना जाता है कि उसने, व्यतिक्रम जमानत पर रिहा होने के अपने अधिकार का 'लाभ उठाया' है या उसे लागू किया है जो उसे जाँच के लिए निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त होता है| इस प्रकार, यदि अभियुक्त 180 दिनों की या विस्तारित अवधि की समाप्ति पर, जैसा भी मामला हो, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के साथ सहपठित एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 36-क(4) के तहत जमानत के लिए आवेदन करता है, तो न्यायालय को लोक अभियोजक से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद बिना किसी अनावश्यक देरी के उसे तुरंत जमानत पर रिहा करना चाहिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है| इस तरह की त्वरित कार्रवाई अभियोजन पक्ष को जाँच एजेंसी द्वारा चूक के मामले में आरोपी को जमानत पर रिहा करने के विधायी जनादेश को विफल करने से रोकेगी।

25.2. व्यतिक्रम जमानत पर रिहा होने का अधिकार तब भी प्रवर्तनीय बना रहता है जब अभियुक्त ने जमानत आवेदन विचाराधीन होने के बावजूद ऐसी जमानत के लिए आवेदन किया है; या बाद में आरोप-पत्र दायर करने या न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा समय के विस्तार की मांग करते हुए आख्या प्रस्तुत की है या मध्यावधि के दौरान आरोप-पत्र दायर करना जब जमानत आवेदन की अस्वीकृति को चुनौती उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

25.3. हालाँकि, जहाँ अभियुक्त व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन करने में विफल होता है जब उसे यह अधिकार प्राप्त होता है और बाद में आरोप-पत्र, अतिरिक्त शिकायत या आख्या को समय के विस्तार की मांग करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया जाता है, तो व्यतिक्रम जमानत का अधिकार समाप्त हो जाएगा| मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेने या जाँच पूरी करने के लिए आगे का समय देने के लिए स्वतंत्र होगा, जैसा भी मामला हो, हालाँकि अभियुक्त को फिर भी दंड प्रक्रिया संहिता के अन्य प्रावधानों के तहत जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

25.4. न्यायालय द्वारा पारित व्यतिक्रम जमानत के आदेश के बावजूद, धारा 167(2) के स्पष्टीकरण I के आधार पर, हिरासत से अभियुक्त की वास्तविक रिहाई जमानत देने वाले सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों पर निर्भर है| यदि अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर जमानत देने और/या जमानत आदेश के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो कारावास में चलती आ रही उसकी हिरासत वैध है|"

21. एक बार फिर, <u>फाखरे आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य</u> में **2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 532** के रूप में प्रकाशित, में पहले के निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को बरकरार रखा गया है और इस बात पर फिर से जोर दिया गया है कि दं.प्र.सं. की धारा 167(2) के पहले परंतुक की शर्तों को पूरा किया जाता है, तो अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का मौलिक अधिकार मिलता है|

<u>अभियुक्त को प्राप्त व्यतिक्रम जमानत के अधिकार की सूचना देने का मजिस्ट्रेट</u>

<u>का दायित्व</u>

22. एक अभियुक्त को हिरासत में भेजने का आदेश एक खाली औपचारिकता नहीं है और उस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को रिमांड की आवश्यकता के लिए अपने विवेक के उपयोग करने की आवश्यकता होती है| अभिरक्षा का 60वाँ या 90वाँ दिन बहुत महत्व रखता है क्योंकि आरोप-पत्र दायर न करने की स्थिति में, दं.प्र.सं. की धारा 167(2) के तहत अभियुक्त के पक्ष में एक अधिकार अर्जित है, जिसे एक अपरिहार्य और मौलिक अधिकार माना जाता है| यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अधिकार किसी भी तरह से विफल न हो, मजिस्ट्रेट पर एक दायित्व डाला जाता है कि वह एक विचाराधीन कैदी को प्राप्त इस अधिकार के संचय के बारे में सूचित करे। विचाराधीन कैदियों से संबंधित मुद्दा जो इस तरह के वैधानिक अधिकार का लाभ नहीं उठा सके, उच्चतम न्यायालय *के* समक्ष <u>हुसैनारा खातून और अन्य बनाम</u> गृह सचिव, **बिहार राज्य, पटना जो** (1980) 1 एससीसी 108 के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया थाः-

> *"3. ...*इन लेखाचित्रों से *यह स्पष्ट है कि इस लेखाचित्र में कुछ संदर्भित याचीगण और अन्य विचाराधीन याचीगण को मजिस्ट्रेट के समक्ष कई बार पेश किया गया और मजिस्ट्रेट ने न्यायिक हिरासत में रखने के आदेश किए हैं| यह विश्वास करना कठिन है कि जिन अनगिनत अवसरों पर इन विचाराधीन कैदियों को मजिस्ट्रेटों के समक्ष पेश किया गए थे और मजिस्ट्रेटों ने रिमांड पर भेजने के आदेश करे थे, उनमें से प्रत्येक ने उन विचाराधीन कैदियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की आवश्यकता पर विचार*

किया होगा| हमें इस बात पर भी बहुत संदेह है कि विचाराधीन कैदियों का ध्यान इस तथ्य की ओर खींचा गया था कि वे धारा 167 की उपधारा (2) के परंतुक (क) के तहत गिरफ्तारी की तारीख से 90 या 60 दिनों की समाप्ति पर जमानत पर रिहा होने के हकदार थे| जब एक विचाराधीन कैदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है और वह हिरासत में 90 या 60 दिन रहता है, जैसा भी मामला हो, मजिस्ट्रेट को न्यायिक हिरासत में आगे की रिमांड का आदेश देने से पहले, विचाराधीन कैदी को यह अवगत कराना चाहिए कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है|"

23. राकेश कुमार पॉल (उपरोक्त) में, आरोप-पत्र दायर करने के लिए वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद व्यतिक्रम जमानत का दावा करने के अधिकार के संचय के बारे में एक अभियुक्त को अवगत कराने के लिए संबंधित न्यायालय के कर्तव्य को निम्नलिखित शर्तों में माना गया हैः-

"44. .....ऐसा होने के नाते हमारा स्पष्ट मत है कि इस सिद्धांत को अपनाने पर, यह जानने के बाद कि उसके समक्ष पेश अभियुक्त व्यक्ति व्यतिक्रम जमानत' का हकदार है, यह समान रूप से एक न्यायालय का कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी कि उसे उसके अपरिहार्य अधिकार के बारे में कम से कम अवगत कराए| एक विपरीत दृष्टिकोण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्मान को कम कर देगा, जिस पर इस न्यायालय द्वारा इतना जोर दिया गया

है जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों से पता चलता है, और निराला यादव में भी कहा गया है|"

(जोर दिया गया)

24. उच्चतम न्यायालय ने एम. रवींद्रन (उपरोक्त) में भी अभियुक्त को इस अधिकार के बारे में सूचित किए जाने के महत्व को भी दोहराया है| निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

"18.10. हम राकेश कुमार पॉल के मामले में व्यक्त विचार से सहमत हैं कि एक एहतियाती उपाय के रूप में, अभियुक्त के अधिवक्ता के साथ-साथ मजिस्ट्रेट को अभियुक्त को बिना किसी देरी के धारा 167 (2) के तहत अपरिहार्य अधिकार, जब उसे प्राप्त हो, के बारे में सूचित करना चाहिए| यह विशेष रूप से वहाँ है जहाँ अभियुक्त समाज के एक वंचित भाग से है और उसके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं है| मजिस्ट्रेटों द्वारा इस तरह के ज्ञान को साझा करने से अभियोजन पक्ष द्वारा किसी भी विलंबकारी रणनीति को विफल कर दिया जाएगा और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 21 और दंड प्रक्रिया संहिता के उद्देश्यों और कारणों के कथन के तहत उल्लिखित दायित्वों को बरकरार रखा जाए|"

<u>व्यतिक्रम जमानत माँगने हेतु आवेदन का प्रारूप</u>

25. यह निर्दिष्ट करते हुए कि व्यतिक्रम जमानत के लिए आवेदन दायर करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, उच्चतम न्यायालय ने <u>राकेश कुमार पॉल</u> (उपरोक्त) मामले में बहुमत के फैसले में माना कि व्यतिक्रम जमानत देने के लिए एक मौखिक आवेदन भी पर्याप्त होगा, और जब तक पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दायर करने से पहले ऐसा आवेदन किया जाता है, तब व्यतिक्रम जमानत प्रदान की जानी चाहिए| यह निम्नानुसार देखा गयाः

> *"40. ....हमारी राय में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में, हम बहुत अधिक तकनीकी नहीं हो सकते हैं और हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में झुकना चाहिए| <u>नतीजतन, क्या आरोपी 'व्यतिक्रम जमानत' के लिए लिखित आवेदन करता है या 'व्यतिक्रम जमानत' के लिए मौखिक आवेदन करता है, इसका कोई परिणाम नहीं है| संबंधित न्यायालय को वैधानिक आवश्यकताओं पर विचार करके ऐसे आवेदन पर विचार करना चाहिए, जैसे कि क्या आरोप-पत्र या चालान दायर करने की वैधानिक अवधि समाप्त हो गई है, क्या आरोप-पत्र या चालान दायर किया गया है और क्या आरोपी जमानत देने के लिए तैयार है और आवेदन करता है|</u>*
>
> ***xxx***
>
> ***46.*** *यह प्रस्तुत किया गया था कि आज तक, याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया है, वह*

"व्यतिक्रम जमानत" का हकदार नहीं है, लेकिन उसे नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए चूँकि *"व्यतिक्रम जमानत" का अध्याय अब बंद हो गया है| हम इस साधारण कारण से सहमत नहीं हो सकते कि हम 4-1-2017 और 24-1-2017 के बीच के अंतराल से चिंतित हैं जब कोई आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया था, जिस अवधि के दौरान उन्होंने "व्यतिक्रम जमानत" के अपने अपरिहार्य अधिकार का लाभ उठाया था| यह पूरी तरह से एक अलग ही मामला होता अगर याचिकाकर्ता ने इस अंतराल के दौरान किसी भी कारण से "व्यतिक्रम जमानत" के लिए आवेदन नहीं किया होता| ऐसी स्थिति हो सकती है (हालाँकि दुर्लभ) जहां एक अभियुक्त शायद अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जमानत पर रिहा होने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसे सुधार गृह के बाहर या किसी अन्य कारण से किसी खतरे का सामना कर रहा हो| लेकिन फिर ऐसी स्थिति में, अभियुक्त स्वेच्छा से अपरिहार्य अधिकार को छोड़ देता है और उस अधिकार के जब्त होने के बाद अभियुक्त,* आरोप पत्र वाम चालान दायर होने के बाद उस अपरिहार्य अधिकार का दावा नहीं कर सकता परन्तु जहाँ तक याचिकाकर्ता का सम्बन्ध है उसका वह मामला नहीं है| चूँकि उसने दिनांक *04.01.207* एवं *24.01.2017* के अपने अधिकार को छोड़ा नहीं है जो उच्च न्यायालय के दिनांक *11.01.2017* के निर्णय से स्पष्ट है| उसके विपरीत, उसने अपने व्यतिक्रम ज़मानत के अपने अधिकार को प्रपात किया है जो दिनांक *11.01.2017* को विफल नहीं हुआ था एवं जिसे हम आज लागू करने के लिए बाध्य है|

> *47.* नतीजतन, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता ने व्यतिक्रम जमानत' प्राप्त करने की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया था, जो यह है कि उसने एक कथित अपराध की जांच लंबित रहने तक 60 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रखा था, जो न्यूनतम 10 साल की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं था, उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और वह अपनी रिहाई के लिए जमानत देने के लिए तैयार था, इसलिए उसे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत के उचित नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाना चाहिए था।
>
> (जोर दिया गया)

26. वर्तमान मामले में, यह नोट किया गया है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 18.01.2020 को गिरफ्तार किए जाने के बाद पहली बार दिनांक 19.01.2020 को दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया था, जब उसे अभिरक्षा में भेज दिया गया था। याचिकाकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304ख के अंतर्गत आने वाले अपराध का आरोप लगाया गया है, जो 10 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास या मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, अधिकतम अवधि जिसके लिए याचिकाकर्ता को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जा सकता था वह 90 दिन था। उक्त अवधि स्वीकार्य रूप से दिनांक 18.04.2020 को समाप्त हो गई थी। हालाँकि, इस बीच, जब याचिकाकर्ता को दिनांक 15.04.2020 को जेल विजिटिंग मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, तो संबंधित दंडाधिकारी ने बिना विचार किए और इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कि 90 दिन की अवधि दिनांक 18.04.2020 को समाप्त हो

रही थी, याचिकाकर्ता की न्यायिक अभिरक्षा को यंत्रवत् रूप से दिनांक 29.04.2020 तक बढ़ा दिया।

27.पूरी याचिका के साथ-साथ याचिकाकर्ता की ओर से की गई प्रस्तुतियों में, पूरा जोर अभियोजन पक्ष द्वारा दिनांक 18.04.2020 तक आरोप-पत्र दाखिल न करने और याचिकाकर्ता के पक्ष में अधिकार के प्रोद्भवन पर है। जैसा कि पहले नोट किया गया है, लागू किए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण देश में मौजूद विलक्षण स्थिति को देखते हुए, जहां जमानत आवेदन को भौतिक रूप से दायर करना संभव नहीं था, याचिकाकर्ता की ओर से ईमेल द्वारा एक आवेदन दायर किया गया जो दिनांक 20.04.2020 को दोपहर 01:16 बजे अधिवक्तागण को दिए गए ईमेल पते पर प्रेषित किया गया था। ईमेल में न केवल व्यतिक्रम पर जमानत पर रिहाई के लिए एक प्रार्थना थी, बल्कि अपेक्षित ज़मानत बंध पत्र दायर करने की शर्त की स्वीकार्यता को भी सूचित किया गया था। इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के प्रावधान का उल्लेख किया गया था जिसके तहत व्यतिक्रम पर जमानत के साथ-साथ मामले का विवरण भी मांगा गया था। याचिकाकर्ता को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह के आवेदन को सूचीबद्ध करना उसके हाथ में नहीं था। इस न्यायालय की राय में, याचिकाकर्ता की ओर से ईमेल भेजना, व्यतिक्रम पर जमानत लेने के उसके अधिकार का लाभ उठाने के समतुल्य है। राज्य की ओर से यह प्रतिविरोध किया गया कि आवेदन कभी भी सूचीबद्ध नहीं किया गया था या याचिकाकर्ता द्वारा छोड़ा गया था, क्योंकि यह गुणागुण

रहित है, खारिज किया जाता है। इसी प्रकार, अन्य प्रतिविरोध कि बाद में एक नियमित जमानत आवेदन दायर करना और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत एक दूसरा आवेदन दायर करने का अभिप्राय है याचिकाकर्ता की ओर से 'व्यतिक्रम पर जमानत' की मांग करने वाले पहले आवेदन को नष्ट कर देना जिसे राकेश कुमार पॉल (पूर्वोक्त) एवं बिक्रमजीत सिंह (पूर्वोक्त) में निर्धारित विधि को देखते हुए पूर्णतया खारिज किया जाना चाहिए।

28. वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि आरोप-पत्र को प्रत्यक्ष रूप से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किया गया था। विचारण न्यायालय अभिलेख में उपलब्ध आदेश दिनांकित 20.04.2020 से भी यही स्पष्ट है। यह ध्यान देने योग्य है कि आरोप-पत्र ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर किए जाने के बाद, उस तारीख को कोई संज्ञान नहीं लिया गया था।

29. वर्तमान याचिका के जवाब में, बुराड़ी थाने के थानाध्यक्ष, निरीक्षक सुरेश कुमार के हस्ताक्षर के अध्यधीन दिनांक 09.12.2020 की स्थिति आख्या को अभिलेख पर रखा गया है। स्थिति आख्या का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> *"मामले का आरोप-पत्र दिनांक 20/04/2020 को माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है। आगे की जांच जारी है और शेष जांच पूरी होने के बाद, मामले का पूरक आरोप-पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष दायर किया जाएगा।*
>
> *यहां यह उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त मामले का आरोप-पत्र प्रारूप तैयार किया गया था और दिनांक 20/03/2020 को,*

मामले की फाइल को अभियोजन शाखा, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली में संवीक्षा हेतु जमा किया गया था, लेकिन दिनांक 21/03/2020 को सरकार ने लॉकडाउन घोषित कर दिया और लगभग अभियोजन शाखा बंद कर दी गई, इसलिए फाइल वापस नहीं ली जा सकी। इस संबंध में वही तथ्य पहले ही केस डायरी सं 41, दिनांकित 28/03/20, सीडी सं. 42, दिनांकित 07/04/2020, सीडी सं. 43, दिनांकित 15/04/2020, सीडी सं. 44, दिनांकित 16/04/2020 में उल्लिखित किए गए हैं। *दिनांक 18/04/2020* को संवीक्षा के पश्चात *फाइल प्राप्त हुई और उसी दिन अंतिम आरोप-पत्र तैयार किया गया और दिनांक 19/04/2020 को, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / तिमारपुर ने आरोप पत्र अग्रेषित कर दिया। अभियुक्त सेट और अन्य सेट तैयार किए गए थे और तथा* 20.04.2020 *को, फाइल को विद्वान ड्यूटी महानगर दंडाधिकारी, तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष न्यायालय में प्रस्तुत किया। इसलिए,* उपरोक्त तथ्यों और *परिस्थितियों के अनुसार आरोप-पत्र दायर करने में हुई देरी* जांच अधिकारी की ओर से नहीं थी।"

30. उपरोक्त स्थिति आख्या के अवलोकन से पता चलेगा कि राज्य के लिए यह सकारात्मक रूप से बताना अनिवार्य था कि दिनांक 20.04.2020 को न्यायालय के समक्ष किस समय आरोप पत्र दायर किया गया था अर्थात् क्या वह याचिकाकर्ता द्वारा व्यतिक्रम पर जमानत के लिए आवेदन दायर करने से पहले किया गया था या बाद में। उक्त प्रश्न का उत्तर यहाँ ऊपर चर्चा की गई विधि की

व्याख्या की दृष्टि से सर्वोपरि है। हालांकि, स्थिति आख्या के साथ-साथ प्रस्तुतियों में भी यह अनुत्तरित है।

31.यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त एक विचाराधीन कैदी के अधिकारों को प्रक्रिया की तकनीकीताओं पर विफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस बिंदु पर, मैं एम. रवींद्रन (पूर्वोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का लाभप्रद रूप से उल्लेख करना चाहता हूं:-

> *"17.9. इसके अतिरिक्त, यह सुस्थापित है कि दंडात्मक कानून के निर्माण में किसी भी संदिग्धता के मामले में, न्यायालयों को उस व्याख्या का समर्थन करना चाहिए जो व्यक्तिगत अभियुक्त और राज्य तंत्र के बीच सर्वव्यापी शक्ति असमानता को देखते हुए अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में झुकती है। यह न केवल मूल दंडात्मक कानूनों के मामले में लागू होता है, बल्कि अभियुक्त की स्वतंत्रता में कटौती के लिए प्रदान की जाने वाली प्रक्रियाओं के मामले में भी लागू होता है।*
>
> xxx
>
> *18.6. हालांकि, संजय दत्त मामले में संविधान पीठ के निर्णय की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि जहां भी अभियुक्त ने धारा 167(2) के तहत अपने अधिकार का तत्परता से प्रयोग किया है और जमानत प्रदान करने की अपनी इच्छा को इंगित किया है, उसे अपने आवेदन पर निर्णय लेने में देरी या उसी की त्रुटिपूर्ण अस्वीकृति के कारण जमानत से इनकार किया*

जा सकता है। न ही उसे पुलिस आख्या दायर करने या उसी दिन अतिरिक्त शिकायत करने जिस दिन जमानत याचिका दायर की गई है में अभियोजन पक्ष के छल के कारण अभिरक्षा में रखा जा सकता है ।"

32. उपरोक्त के अनुरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने नागेश कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य *व अन्य,* **वि.अनु.या (आप.) सं. 6975/2019** मामले में याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत आदेश दिनांकित 15.10.2019 के अनुसार जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। संक्षेप में, मामले के तथ्य, जैसा कि आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है, यह हैं कि आरोप-पत्र दायर करने की वैधानिक अवधि दिनांक 23.05.2019 को समाप्त हो गई। याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.05.2019 को व्यतिक्रम पर जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया और उसी दिन, हालांकि बाद में, आरोप-पत्र भी दायर किया गया। इस प्रकार, अभियुक्त के अधिकार की हार को रोकने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय सुनाया।

33. इस प्रकार, आरोप पत्र दायर करने के समय और वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों के बारे में किसी भी प्रकथन या प्रस्तुति के आभाव में, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता द्वारा व्यतिक्रम पर जमानत लेने के उसके अधिकार का लाभ उठाते समय, आरोप-पत्र पहले ही दायर किया जा चुका था।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को व्यतिक्रम पर जमानत पर रिहा करने के लिए इच्छुक है, बशर्ते वह रु. 25,000/- की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ संबंधित न्यायालय / ड्यूटी महानगर दंडाधिकारी की संतुष्टि के अध्यधीन समान राशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करेगा और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन भीः-

i) याचिकाकर्ता मोबाइल नंबर अर्थात् 9999984794 पर उपलब्ध रहेगा, जिसे वह विचारण के विचाराधीन रहने के दौरान हर समय चालू रखने का वचन देता है।

ii) याचिकाकर्ता प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ता या अभियोजन पक्ष के किसी अन्य गवाह से संपर्क करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगा।

iii) याचिकाकर्ता विचारण के विचाराधीन रहने के दौरान नियमित रूप से संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

iv) याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नहीं छोड़ेगा।

35. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ऊपर उल्लिखित कोई भी बात मामले के गुणागुण पर अभिव्यक्ति नहीं होगी और इसका मामले के विचारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

36. किसी विचाराधीन व्यक्ति को रिमांड पर लेने या उसके विस्तार के आदेश को

एक न्यायिक कृत्य माना गया है जिसमें विवेक के उचित प्रयोग की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विधायी आज्ञा तथा न्यायालयों द्वारा बारंबार प्रगणित किए गए विधिक सिद्धांतों के बावजूद विचाराधीन कैदियों के व्यतिक्रम पर जमानत लेने के अधिकारों को विफल नहीं किया गया है, और यह कि एक विचाराधीन कैदी की अभिरक्षा को असंगत रूप से नहीं बढ़ाया जाता है जैसा कि इस मामले में किया गया है, यह न्यायालय यह निर्देश देना आवश्यक समझता है किः

i) एक विचाराधीन कैदी की अभिरक्षा का विस्तार करते समय, मजिस्ट्रेट / संबंधित न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167(2) के तहत निर्धारित अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए अभिरक्षा की अवधि को असंगत रूप से नहीं बढ़ाएगा। ;

ii) अभिरक्षा को जांच पूरी करने और आरोप-पत्र प्रस्तुत करने के 60 वें, 90 वें या 180 वें दिन (अपराध की प्रकृति और किसी विशेष अधिनियम की प्रयोज्यता के आधार पर) को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया जाएगा। यदि ऐसा 60 वां, 90 वां या 180 वां दिन 15 दिनों की अधिकतम विस्तार अवधि से पहले आता है, तो अभिरक्षा केवल 60 वें, 90 वें या 180 वे दिन तक बढ़ाई जाएगी, जो लागू हो।

iii) एक आवश्यक निष्कर्ष के रूप में, विचाराधीन कैदी को अगले दिन यानी 61 वें, 91 वें या 181 वें दिन संबंधित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, ताकि उसे व्यतिक्रम पर जमानत लेने

के अपने मौलिक अधिकार के बारे में विधिवत सूचित किया जा सके यदि कोई आरोप-पत्र निर्धारित अधिकतम अवधि या जांच की अनुमत विस्तारित अवधि में दायर नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो।

iv) 'अभिरक्षा वारंट' के वर्तमान प्रारूप को संशोधित किया जाए। विचाराधीन कैदी के संबंध में मौजूदा प्रारूप पहले से ही गिरफ्तारी की तारीख, पुलिस अभिरक्षा की अवधि, पहली न्यायिक अभिरक्षा की तारीख आदि सहित कुछ विवरणों को उल्लिखित किया जाना सुनिश्चित करता है तथा इस प्रकार है:

_____ के न्यायालय में

<u>अभिरक्षा वारंट</u>

राज्य बनाम : प्राथमिकी सं.

विचाराधीन का नाम :

पुत्र श्री :

निवासी :

जन्म तिथि / आयु :

	धाराएँ व अधिनियम
प्राथमिकी	
अन्वेषण	
आरोप-पत्र	
संज्ञान	

आरोप	
आरोप में संशोधन / परिवर्तन	

चरण	विचाराधीन कैदी का अभिलेख	टिप्पणी (यदि कोई हो)
गिरफ्तारी की तारीख		
पुलिस अभिरक्षा की अवधि		
प्रथम न्यायिक अभिरक्षा की तिथि		
जमानत की तिथि, यदि प्रदान की गई है, और जमानत प्रदान करने वाला न्यायालय		
ज़मानत बंधपत्र की राशि		

संज्ञान में लेने की तारीख पर

धाराएँ	दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436-क के अंतर्गत अधिकार प्रोद्भूत होने की तिथि

अब इसमें एक कॉलम भी शामिल होना चाहिए जिसमें वह दिन इंगित हो जिस दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धार 167(2) के परंतुक (क) के तहत विचाराधीन कैदी को 'व्यतिक्रम पर जमानत' का अधिकार प्रोद्भूत होगा।

v) संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि आपराधिक न्यायालयों में कार्यरत रिमांड अधिवक्तागण / विधिक सहायता

अधिवक्तागण को निर्देश दिया जाए कि वे एक विचाराधीन व्यक्ति को व्यतिक्रम पर जमानत लेने के उसके अधिकार और ऐसे अधिकार के प्रोद्भूत होने की तारीख के बारे में सूचित रखें।

vi) जेल अधिकारियों का भी यह तत्समान दायित्व होगा कि वे विचाराधीन कैदी को उस तारीख के बारे में सूचित करें जब व्यतिक्रम पर जमानत लेने का अधिकार प्रोद्भूत होता है।

37. इस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय इस न्यायालय के महा निबंधक के साथ-साथ महानिदेशक (कारागार) से उठाए जा रहे कदमों के बारे में उत्तर मांगना उचित समझता है ताकि एक विचाराधीन कैदी को 'व्यतिक्रम पर जमानत' मांगने के उसके अधिकार के बारे में सूचित किया जा सके और यह कि इस तरह के अधिकार को विफल नहीं किया जाए, बल्कि समय पर प्रयोग किया जाए। उत्तर और सुझाव, यदि कोई हों, तो 'अंतर-संचालित आपराधिक न्याय प्रणाली (आई.सी.जे.एस.)'के आलोक में प्रस्तुत किए जाएंगे, जो एक मंच है जो ई-समिति, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में अस्तित्व में आया था। आज से चार सप्ताह के भीतर उत्तर दायर किए जाए।

38. उपरोक्त उद्देश्य हेतु मामले को दिनांक 18.11.2021 को सूचीबद्ध किया जाए।

39. इस निर्णय की एक प्रति सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को तुरंत भेजी जाए ताकि पारित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।

रजिस्ट्री निर्णय को महा निबंधक के संज्ञान में भी लाएगी और इसकी एक प्रति महानिदेशक (कारागार) के साथ-साथ सदस्य सचिव, दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी प्रेषित करेगी।

मनोज कुमार ओहरी, न्या.

18 अक्टूबर, 2021/एनए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*